SHRI Y. B. CHAVAN: This matter will have to be considered by the Corporation which comes into existence. Government by itself cannot take a decision on this matter.

SHRI M. S. OBEROI; May I ask the Home Minister if they have made a study as to what will be the compensation the Government has got to pay in the case of the contemplated change which might come in?

SHRI Y. B. CHAVAN: I think I have answered this question. The hon. Member was either absent or possibly he has not heard my reply.

SHRI D. THENGARI: The reply given regarding the absorption of staff is certainly vague. I should like to know whether the Government would follow the principle that there would be no direct recruitment for any post if suitable personnel is available already.

SHRI Y. B. CHAVAN: I would like to make that point clear. The word "absorption" is used in a wrong sense. 1 said certainly if the Corporation comes into existence—please mark my words—if the Corporation comes into existence, the question of making use of the technical talent available with the Kalinga will be certainly a national responsibility, and it will be looked at from that point of view. There is no question of automatic absorption as such.

विदेशों में हिन्दी का प्रचार

*239. श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया : †
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के राष्ट्रिकों को हिन्दी पढ़ने-पढ़ाने में सरकार किस किस रूप में सहयोग देने को तैयार है; और

(ख) विदेशों में हिन्दी का प्रचार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

PROPAGATION OF HINDI ABROAD

*239. SHRI V. M. CHORDIA:
SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the details of the cooperation that Government is prepared to extend to the nationals of foreign countries to enable them to learn and teach Hindi; and

(b) what steps are being taken to propagate Hindi in foreign countries?]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) अन्य देशों के राष्ट्रिकों को हिन्दी पढ़ने पढ़ाने के लिये सरकार जो कुछ भी सहायता दे सकती है, देने को तैयार है । अब तक जो कदम उठाये गये हैं, उनमें ये शामिल हैं:–विभिन्न देशों में हिन्दी के अध्यापकों को भेजना, भारत में हिन्दी सीखने के लिये विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां देना, आगे प्रशिक्षण के लिए तथा अध्ययन दौरों पर हिन्दी के विदेशी अध्यापकों को बुलाना, विदेशों के स्कूल, विश्वविद्यालयों आदि को हिन्दी पुस्तकें भेजना ।

f[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (PROF. SHER SINGH): (a) and (b) The Government is prepared to extend whatever help it can to the nationals of other countries to enable them to learn and teach Hindi. The steps taken so far include sending of lecturers in Hindi in different countries, awarding scholarships to foreign students for learning Hindi in India, inviting foreign teachers of Hindi for

•[•[ ] English translation.

further training and study touff in India, sending Hindi books to schools, universities etc. abroad.]

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमन्, यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कार्यक्रम आपने गत तीन वर्षों में रखे हैं, इस बारे में यहां से कितने अध्यापकों को भेजा है ? इस सूचना को टेबल पर रख दीजियेगा । इसमें भारतवर्ष के अलावा बर्मा में, अमेरिका में, इंगलेंड में, फिजी में, गियाना और मारीशन और कीनिया वगैरह सारे संसार के देशों में जो कई लोग हिन्दी पढ़ना चाहते हैं–फिजी में बहुत हद तक काम हिन्दी में चलता है–उनके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ? ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि हिन्दी जानने वाले क्या स्वयं पहल करें कि आपके पास आएं, या आप खुद प्रयत्न करके उनको इस बात के लिये प्रेरित करें और उत्साहित करें कि वे हिन्दी सीखें ? क्या शासन उनके द्वारा पहल किये जाने पर काम करना चाहता है या स्वयं अपनी ओर से कदम उठाकर उनको प्रोत्साहित करना चाहता है ?

प्रो० शेर सिंह : हमने कुछ टीचर्स बाहर भेजें हैं जैसे ट्रिनिडाड में एक लेक्चरर भेजा . . .

SHRI V. M. CHORDIA: My point is different.

प्रो० शेर सिंह : . . . . .तीन लेक्चरर गिनी में . . .

MR. CHAIRMAN: Please wait. He gives the answer.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : वह सुन लिया है मैंने I have asked him to put it on the Table. मैं यह जानना चाहता था कि उन देशों के लोग जो हिन्दी जानना चाहते हैं, हिंदी पढ़ने के इच्छुक हैं–इसमें दो पौइंटस आते हैं–या तो वे लोग स्वयं पहल करें और हमारे शासन को लिखें कि हम हिन्दी सीखना चाहते हैं इस लिये हमें मदद दी जाये, या हमारा शासन स्वयं इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उन लोगों में हिन्दी का आकर्षण हो, हिन्दी का प्रेम हो अपनी तरफ से उनको प्रोत्साहित करने के लिये कोई ऐसी योजना बनाये जिससे वे लोग हिन्दी पढ़ने के लिये प्रस्तुत हो सकें ?

प्रो० शेर सिंह : यह इस प्रकार के सुझाव हैं जो शिक्षा समिति की ओर से आए और उसके ऊपर विचार करने के बाद शिक्षा मंत्रालय उन सिफारिशों के ऊपर अमल करने के लिये विचार कर रहा है ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या यह बात सही है कि शिक्षा समिति ने 1965 में आपको यह सुझाव दिये थे और दो वर्ष बीत गये अभी तक आप उन पर केवल विचार ही कर रहे हैं, तो इससे हिन्दी का विदेशों में प्रसार करने में अहित न हो इसलिये मैं चाहूंगा इसकी ओर आप विशेष ध्यान दें । जिनके जिम्मे विदेशों में हिन्दी का प्रसार करने में प्रेम है, आकर्षण है, वह तो स्पष्ट ही हो जाता है ।

अब इसका काम इन्डियन काउन्सिल आफ कल्चरल रिलेशन्स भी करता है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उनको तो नाटक और नृत्यों और दूसरे कामों से फुर्सत मिलती नहीं और जहां लोग चाहते हैं, जैसे इंगलेंड में "प्रवासिनी" नाम का अखबार निकालते हैं, वहां के उच्चायुक्त ने भी इसके बारे में कुछ लिखा पढ़ी की, मगर वे लोग भी बेचारे टाइपराइटर के अभाव में सारा काम हाथ से उतार कर यहां सर्कुलेट करते हैं। उन्होंने टाइपराइटर की मांग भी की । तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को विशेष मदद दी जा सके, उनका खास तौर में ध्यान रखा जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिये सरकार शीघ्रतम कौन कदम उठाने की बात सोचती है ?

प्रो० शेर सिंह : इसके बारे में, जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी जगह विद्यालय और विश्वविद्यालय में जहां हिन्दी को पढ़ाने का प्रबन्ध है वहां पुस्तकें भेजते हैं और फिर अब हम कौरेस्पोन्डेंन्स कोर्सेज भी चलाने की बात सोच रहे हैं और इसके द्वारा भी वहां पर हम सहायता दे सकते हैं कि पढ़ने के लिये कुछ टीचर्स उनके यहां आएं, उनको ट्रेन करके हम भेज सकते हैं यह प्रोग्राम हमारे सामने हैं। कई प्रकार से हम सहायता करना चाहते हैं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि जितनी मांग विदेशों में हिन्दी अध्यापकों के लिये की गई है क्या वह सारी की सारी पूरी हो गई और क्या इस कारण से वह पूरी नहीं हो सकी है क्योंकि विदेशी मुद्रा की कठिनाई इसको पूरा करने में बाधक सिद्ध हो रही है? अगर हां, तो शिक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस कठिनाई को दूर करने में किसी तरह की पहल अभी तक की है कि नहीं। दूसरे, विदेशों से जो लोग हिन्दी पढ़ने के लिये अपने देश में आते हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिये या उनको हिन्दी का अध्ययन करने में जो बाधायें उपस्थित होती हैं—कई बार एडमिशन्श की, कई बार निवास की—उनको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रो० शेर सिंह : इस प्रकार की कोई बात नोटिस में अभी तक आई नहीं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो बाहर से हिन्दी सीखने के लिये आते हैं उनको छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । विदेशों के जो लोग आते हैं उनको निवास की और दूसरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। यदि आपके इल्म में कोई ऐसी बात हो कि इनको शिकायत आई है तो आप हमें भेज दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या विदेशी मुद्रा की कठिनाई के आधार पर बाहर भेजने के इस कार्यक्रम में कोई कटौती हुई है और इस कारण से भारत की जो डिमान्डस हैं वे पूरी होने से रह गई ?

प्रो० शेर सिंह : इसमें कोई कटौती इस कारण से नहीं की गई है । विदेशी मुद्रा की समस्या जरूर है देश के सामने, परन्तु अभी यह काम बहुत फैला नहीं है । इसको आगे फैलाना है । एक इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी जो हिन्दी शिक्षा समिति की बनी उसने उसके पक्ष में कुछ सिफारिशें की हैं और वह सिफारिशें भी हिन्दी शिक्षा समिति के सामने आ गई । इन सारी चीजों पर विचार हो रहा है ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : नहीं आपका यह कहना है कि विदेशी मुद्रा का प्रश्न इनवाल्व्ड हो नहीं है ।

प्रो० शेर सिंह : मैंने कहा इनवाल्व्ड है, हर मामले में इनवाल्व्ड है । लेकिन अभी इतनी बड़ी योजना हमारे सामने नहीं आई जिसमें कोई इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा का प्रश्न हो । जब काम फैलेगा तब आयेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उन्होंने शिक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये क्या कोई अवधि निश्चित की है ? अगर अवधि निश्चत नहीं की है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसे कई साल हो गए, क्या अब और कोई अवधि निश्चित करेंगे ?

प्रो० शेर सिंह : इन्टर डिपार्टमेंटल कमेटी बनने के बाद हमने शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और कल्चरल अफेयर्स काउन्सिल जो है हमारी, उनकी कमेटी बैठाई । शिक्षा समिति ने जो सुझाव दिये उन पर विचार करने के लिये यह बनाई । इसके बाद शिक्षा समिति में गए 1966 में । अब पालिसी के रूप में उनके सभी सुझावों को मान लिया गया है । कुछ

के ऊपर अमल हो गया है। जैसे इम्बेसीज को कुछ बातें लिखी थीं और उन्होंने यह बात कही थी कि वह भी जितना हो सकता है यत्न करें कि वे हिन्दी का प्रसार करें और अपने रोज के कामों में हिन्दी को काम में लाएं। तो कुछ चीजों पर अमल हो गया है और कुछ पर अमल करने का विचार कर रहे हैं और हिन्दी शिक्षा समिति की कुछ शिफारिशों को मान लिया गया है।

श्री रामकुमार भुवालका : क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन कौन सी कन्ट्रीज हैं जहां हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं ?

प्रो० शेर सिंह : इस संबंध में कई ढंग का काम हो रहा है। हम विदेशी विद्यार्थियों को इस कार्य के लिये स्कालरशिप दे रहे हैं और हमने जापान, रूमानिया और हंगरी के लोगों को स्कालरशिप दिया है। इसी तरह से हमने अपने कई टीचरों को बाहर के मुल्कों में भेजा जिनमें केनिया, ट्रिनीडाड, सूरीनाम और रूमानिया है। कुछ मुल्कों में हमने पुस्तकें भी भेजी हैं, जिनमें रूमानिया, मारिशस, फिजी, पोलैन्ड, ब्रिटेन, हंगरी, यू० एस० एस० आर०, सऊदी अरेबिया, चेकोस्लोवाकिया, सीलोन, केनिया, यू०एस०ए०, यू० के०, इन्डोनेशिया, वेस्ट इंडीज, यूगान्डा, ब्रिटिश गियाना और सिंगापुर हैं। इस तरह से हमने हिन्दी पढ़ाने की इन मुल्कों में कोशिश की है और दूसरे देशों की यूनीवर्सिटीज में भी इस तरह का प्रबन्ध हो चुका है जिनके नाम इस प्रकार से हैं : आस्ट्रेलिया, बेलजियम, ब्रिटेन, सीलोन, चाइना, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, फिजी, फ्रांस, हंगरी, इन्डोनेसिया, ईरान, इटली, जापान, केनिया, मारिशश, नेपाल, नीदरलैंड, रूमानिया, तंजानिया ट्रिनीडाड, सूरीनाम, मलेशिया, यू० एस० ए०, यू एस० एस० आर० और यूगोस्लाविया।

श्री जगत नारायण : मैं वजीर साहब से यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार इन इन मुल्कों में हिन्दी पढ़ने और उसको फैलाने का प्रबन्ध कर रही है। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब हमारे वजीर बाहर मुल्कों में दौरे पर जाते हैं, तो वे क्या वहां पर हिन्दी में बातचीत करते हैं जो हमारी राष्ट्रभाषा है ? वे लोग तो वहां पर अंग्रेजी में बातचीत करते हैं और क्या वे अपने साथ हिन्दी में बातचीत करने के लिये दुभाषिया ले जाते हैं या नहीं। जिन मुल्कों के नाम अभी पढ़कर सुनाये गये हैं, क्या वहां पर सरकार की तरफ से हिन्दी में बातचीत करने के लिये दुभाषिया है या नहीं ?

प्रो० शेर सिंह : जो हिन्दी जानने वाले हैं वे बाहर हिन्दी में भी बात करते हैं। यह ठीक है कि हमारे मंत्रीगण और दूसरे लोग जो डेलीगेशन्स में जाते हैं, वे वहां पर हिन्दी में बात नहीं करते हैं। अभी हिन्दी की जितनी तरक्की होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है। यह बात मैं मानता हूं कि हिन्दी की तरक्की काफी होनी चाहिये, लेकिन वह अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। जहां तक दुभाषियों का प्रबन्ध करने का सवाल है, जब सब लोग हिन्दी के माध्यम से बातचीत करने लगेंगे तब इस चीज का प्रबन्ध किया जा सकता है। जिस रूप में अभी हिन्दी को तरक्की हो रही है अगर उसमें जाते हैं तो उससे हमें संतोष नहीं होता है।

COL. B. H. ZAIDI: We have a feeling that the replies have been very timorous, halting and unsatisfactory. Let us take the example of countries which have started centres in Delhi, for instance, there is the British Council, there is the Max Mueller Bhavan, there is the Russian Institute. They are taking very special measures for the propogation of their own national ianguages. Is there any proposal before the Government for starting something like the British Council in some of the countries of the world. Is a single Indian Council being started in any country?

As for sending books in Hindi to ihe various countries of the world, Sir, I had the privilege of going to a lumber of African countries during he last few years, and I made a joint of going to the universities, ind I put questions to them as to vhether they had any books lealing with India, especially about >anskrit, Hindi and Indian drama. Vnd there were not even half a iozen books in the libraries of the vrious African universities. We are old that Hindi books have been ent. I do not know whether they ave been sent and how many have ieen sent. The whole attitude is pologetic, halting, timorous and lalf-hearted. Let something courageous and bold be done in keeping vith the dignity and position of our Treat country.

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये, उसके लिये मैं आभारी हूं और मैं समझता हूं कि जैसी उनकी भावना है, उसी तरह से काम होना चाहिये । इस संबंध में अभी थोड़ा काम हुआ है, और मैं मानता हूं कि अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, जैसी कि आपकी भावना है, तो काम भी वैसे ही बढ़ेगा और बढ़ना चाहिये ।

(Several hon. Members stood up.)

MR. CHAIRMAN: Several hon. Members are standing on all sides of the House. Mr. Murahari.

श्री गोडे मुराहरि : मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बारे में जो नीति है वह बुनियादी तौर पर गलत नहीं है क्योंकि जब हमारे दूत दूसरे देशों में जाकर अंग्रेजी में बोलते हैं, जब कोई हिन्दुस्तान का दूत जर्मनी, स्विटजरलैंड या रूस में जाता है, तो वहां पर वह अंग्रेजी में ही बोलते हैं । इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी हिन्दी भाषा को उन्नति होगी और हम दूसरे लोगों को हिन्दी सिखलायेंगे ? पहले जो आप की गलत नीति है उसको बदलना चाहिये क्योंकि अगर आप स्विटजरलैंड या रूस में जाते हैं तो वहां तर स्विस या रशियन भाषा में बात नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपनी भाषा में तो बात कर सकते हैं, हिन्दी भाषा में बात कर सकते हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी बुनियादी नीति को नहीं बदलेंगे, तब तक आप हिन्दी की उन्नति नहीं कर सकते हैं । इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस नीति को बदलने जा रही है या नहीं ?

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य को जो कठिनाई है, उसको मैं अच्छी तरह से अनुभव करता हूं । उनको पता है कि इस संबंध में क्या क्या कठिनाइयां हैं । हिन्दी को राष्ट्र की भाषा बनाने का निर्णय किया जा चुका है और संविधान के अन्दर इसका प्रबन्ध भी है और सब कुछ है । इसके बावजूद भी कुछ भाषाओं के बोलने वालों की ओर से इसके संबंध में मुखालफत है । वे लोग कहते हैं कि अभी अंग्रेजी को कुछ दिन और जारी रखा जाना चाहिये और इसके लिये वे जिद करते हैं । अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम और मुसीबत में पड़ सकते हैं । इसलिये इस देश के अन्दर इस समय जो वातावरण है उसमें कुछ कठिनाई है और जब हम इस वातावरण से ऊपर उठ जायेंगे तो राष्ट्रभाषा की तरफ पूरी तरह से ध्यान दिया जा सकेगा और यह बात होनी भी चाहिये ।

SHRI S. S. MARISWAMY: WiH the Minister be pleased to state the details of the co-operation, help and assistance that Government is prepared to extend to the nationals of foreign countries to enable them to learn and teach Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and all the other languages that are in the Eighth Schedule of the Constitution and also what steps are being taken to propagate all the Indian languages in the foreign countries?

प्रो० शेर सिंह : इस प्रश्न से आपकी बात नहीं निकलती है । आप यदि दूसरा प्रश्न करेंगे तो उत्तर दिया जायेगा ।

SHRI S. S. MARISWAMY: It is an important matter. We want to know the policy of the Government. It is an important matter and the hon. Minister should know that the policy is to be discussed shortly both inside the House as well as outside the House. He must know it; he must come out with a clear-cut statement.

प्रो० शेर सिंह : अभी तो सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है । अगर सभी भाषाओं के लिये संस्थान बनाये जायेंगे, तो सभी राज्यों में इस तरह के संस्थान बनाने की जरूरत है । भाषा का . . .

SHRI S. S. MARISWAMY: He may reply in English, Sir.

AN HON. MEMBER: But the translation is there.

PROF. SHER SINGH: Because there was a demand. . .

(.Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Order, order, please.

प्रो० शेर सिंह : भाषा को इस सदन में इतने जोरों की मांग है कि हमें . . .

SHRI S. S. MARISWAMY: On a point of order, Sir. When a question is asked in English, the hon. Minister is expected to give the reply in English.

HON. MEMBERS: No, no.

SHRI S. S. MARISWAMY: He knows English. Let him accept that he does not kno$_w$ English. Either he comes out with the statement that he does not know English or he must answer in English.

MR. CHAIRMAN: The translation is there.

SHRI S. S. MARISWAMY: He must come out with the statement that he doesi not know English . . . *(Interruptions)* May I ask him a question in Tamil?

MR. CHAIRMAN: He has a right to speak in Hindi provided you are able to listen to the translation arrangement that is made.

(Several *hon. Members stood* tip)

There are so many hon. Members standing. How can I ask three people who get up to put questions at the same time? I cannot understand it.

SHRI S. S. MARISWAMY: Sir, I want a clear ruling on this. When a question is asked in any one of the languages, either in English or in Hindi, the answer is expected to be in the same language of the question.

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.

SHRI S. S. MARISWAMY: That is the convention.

MR. CHAIRMAN: I have already said.

SHRI S. S. MARISWAMY: Sir, the behaviour of the Minister appears to us to be very curious.

MR. CHAIRMAN: I must tell you this. When I stand up, I would like everybody to sit down. Otherwise, nothing can go on here and it is impossible for me to get *on* with the business of the House when all of you stand up. If you do not respect the Chair and all stand up, what can I do? I would ask you, please, I beg of you—when I stand up to explain something, none of you should stand up but respectfully hear me.

I have given the ruling, namely, that the gentleman can reply in Hindi so long as there is the English translation. At the same time you must respect the feelings. Suppose he likes to reply in Hindi and I would like to follow it—I do not understand —I try to use the head phone.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is all right what you say. We are all for having Hindi in its own way but not in the form in which some hon. Members would like to have it. But what

happens if I ask a question in Bengali? Will it be translated?

MR. CHAIRMAN: This is a matter to be decided by the Government. They must have 17 people to translate. When a Bengali speaks in Bengali, there must be translation from Bengali, when a Maharashtrian speaks, there must be a Maharashtrian translator, or when somebody speaks in Telugu there must be a translator for that language and so on. This is a matter to be looked into. Till then there are two languages available here, English and Hindi, and we should respect. In whatever language an hon. Member speaks, we should be able to follow because we have got the head phone.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is in the hands of the Government. Certainly the Ministry will have to provide the money. Parliament is not the executive.

DR. RAM SUBH AG SINGH: Sir. how can this point be raised in the question Hour? It is not good to kill the time of the House.

SHRI BHUPESH GUPTA: Now here is the Minister. When I say that I would like to have Bengali translated into other languages, the hon. Minister gets and says there i_s no time. Do you want to silence me like this? It is in your hands, Sir. You can give a direction to the Government [hat subject to the availability of funds—they are having plenty of funds to waste—immediate arrangements should be made for simul-:aneous translation into all the languages enumerated in the Eighth Schedule of the Constitution.

MR. CHAIRMAN: It is a reasonable thing which the Government iave to look into provided finances illow.

SHRI S. S. MARISWAMY: At the ;am$_e$ time I want to tell the Minster, through you, Sir, that whenever put a question to him—hereafter I am going to ask him questions in Tamil—he must give me the reply in Hindi.

DEMONSTRATION AGAINST ISRAEL INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS

*240. DR, (MRS.) MANGLADEVI TALWAR:f SHRI D. THENGARI: SHRI V. M. CHORDIA: SARDAR RAM SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that demonstrations were held against a reception held in Delhi to celebrate the Independence Day of Israel on 14th May, 1967;

(b) if so, whether some foreign diplomats were man-handled by the Arab students; and

(c) what action was taken in Ihe matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) A case under sections 147|148| 452|353 and 186 of the Indian Penal Code has been registered and is under investigation.

DR. (MRS.) MANGLADEVI TALWAR: Sir, ours is a democratic country and we respect all the foreign Legations that are here. May I know, sir, why the Police did not arrest the demonstrators who bricketted the building and stoned the guests?

SHRI Y. B. CHAVAN: As I said, the police just cannot arrest anybody they like. It is a democracy, very much so. Therefore, they have left it to the natural course of law.

The question was actually asked on the floor of the House by Dr. (Mrs.) Mangladevi Talwar.